

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9945 / 5004

दिनांक :- 27.01.2020

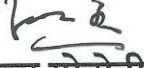
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री सृष्टि पारीक [लिंक न. 9945] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम, विधि विभाग, कोटा - [25945] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04/12/2017 से 16/12/2017 तक 13 दिवस

कुल 13 दिवस

उक्त कुल 13 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री सृष्टि पारीक की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9945 / 5004

दिनांक :- 27.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम, विधि विभाग, कोटा
2. कोषाधिकारी कोटा
3. श्री /श्रीमती / सुश्री सृष्टि पारीक [9945] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रथम, विधि विभाग, कोटा
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)